

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 240]
No. 54]	DELHI, WENESDAY, MARCH 30, 2016/CHAITRA 10, 1938	[N.C.T.D. No. 240]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च, 2016

सं0फा0 22(1)/आर0आर0/स्था0/महि0बा0वि0/2014/52540-548—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59-एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संरक्षण अधिकारी के पद के लिये निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को महिला एवं बाल विकास विभाग, संरक्षण अधिकारी के भर्ती नियम, 2016 कहा जाए।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड+ग्रेड पे/वेतनमान :-** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड+ग्रेड पे उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि:-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है:

या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव**:- इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
7. **प्रारम्भिक गठन** :- इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि को संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाना जायेगा, बशर्त कि वे पद के भर्ती नियमों में उल्लिखित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों तथा उन्हें इस पद के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित जांच समिति द्वारा पात्र घोषित किया गया हो। परिवीक्षा तथा सेवा/पद की अन्य शर्तों संबंधी मामलों का निर्धारण इस पर लागू कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	: संरक्षण अधिकारी
2.	पदों की संख्या	: 23* (2016) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	: 'ख' वर्गीय, सामान्य केन्द्रीय सेवा अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	: पै बैंड-2 (93,00-34,800/- रुपये) ग्रेड पे 4200/- रुपये
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं प्रविष्टता या गैर चयन पद	: लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं (सहायक निदेशक पराशर्म)	: अनिवार्य :- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि सहित महिला/बाल/निस्सहाय/विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में रेगुलर पेड कैपेसिटी में किसी सरकारी विभाग/मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन में (भारत सरकार या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त) सामाजिक क्षेत्र में तीन वर्षीय अनुभव। <b>वांछनीय</b> (क) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विधि में उपाधि। (ख) महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। <b>टीप-1.</b> अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकाओं के विवेक पर शिथिलनीय है।



		टीप-2. यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टीप: व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरा जा सकता है।</p> <p>(क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड-1 5200-20,200/-रुपये + ग्रेड पे 2800/-रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित।</p> <p>(ख) कॉलम 07 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टीप:- प्रतिनियुक्ति/समावेशन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का पिलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित है जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।</p>

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: "ख" वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति 1. निदेशक - अध्यक्ष 2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)- सदस्य 3. किन्हीं दो जिलों के जिलाधिकारी- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश तथा उनके नाम पर,  
अश्वनी कुमार, सचिव (समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग)

#### DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 30th March, 2016

No.F.22(1)/RRs/Estt/WCD/2014/52540-548- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F-27/59-Him.(i), dated the 13<sup>th</sup> July, 1959 and in consultation with the Union Public Service Commission, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make recruitment rules for the post of Protection Officer in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, as following, namely :-

**Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Department of Women and Child Development, Protection Officer, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. Number of posts, classification and pay band + grade pay/scale of pay.**- The number of the said posts, their classification and pay band + grade pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons in consultations with the Union Public Service Commission.

**6. Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**7. Initial Constitution.**-

The incumbents holding the posts of Protection Officer on the date of issue of this notification, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules provided they are deemed to have fulfilled all the eligibility conditions as specified under the Recruitment Rules to the post and having been declared as eligible by a Screening Committee constituted by the Appointing Authority to the given post. Matter relating to probation and other terms and conditions of the service/post may be determined in accordance with the extant DoP&T guidelines as applicable thereto.



Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for Direct Recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Protection Officer	23* (2016) subject to variation dependent on work- load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-2, Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4200/-.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India ( and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkam, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age & educational Qualifications prescribed for direct Recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether By direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential:</b> Post Graduate in Social Work/Sociology from a Recognized University with three years experience in Social sector in any Government Department/Recognized Voluntary organization (duly recognized by the Government of India or a State/UT Administration) in a regular paid capacity in the field of Welfare of Women/Children/Destitute/Physically Handicapped. <b>Desirable:-</b> (1) Degree in Law from a	Not applicable	Two years for direct recruits.	By Direct Recruitment.  <b>NOTE:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on Deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (ISTC) basis from the officers of the Central Government or

1574 D9/16 -2

<p>recognized University.</p> <p>(2) Preference shall be given to Female candidates.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>		<p>State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization.-</p> <p>(A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; OR</p> <p>(ii) With five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay Band-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(B) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruits under column 7.</p> <p>Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>NOTE;</b> For the purpose of appointment on deputation (ISTC) basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1st January of 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade</p>
--	--	---

			Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one Grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement Grade without any up gradation.
--	--	--	---

In case of recruitment by promotion/ Deputation/Absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of :- 1. Director - Chairman 2. Addl. Director (Admn.) - Member 3. District Officers of any two Districts - Members	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
ASHWANI KUMAR, Secy.  
(Deptt. of Social Welfare/Women and Child Development)

### वन एवं वन्य जीव विभाग

#### अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च 2016

सं.फा.4(421)/सीएफ/मु./स्थ./आर.आर.-एफ.जी/2010/2683.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या एफ27/59-हीम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन रक्षक के लिए आवश्यक भर्ती नियम अधिसूचना संख्या फ.57 (6) विकास मुख्यालय/13/4216-20 दिनांक 14 जून, 1994 एवं सं.फा.4(421)/सीएफ/मु./स्थ./आर.आर.-एफ.जी/2010/8182-88 दिनांक 23 मार्च, 2012 को रद्द करते हुए वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली में वन रक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, यथा:

1. लघु नाम एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली में वन रक्षक भर्ती नियम 2016 कहा जायेगा ।  
(ii) ये नियम दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।



2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान:-** इस पद से सम्बन्धित पदों की संख्या एवं वर्गीकरण और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान अनुसूची के खण्ड 2 से 4 तक दर्शाये अनुसार होंगे।
3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा एवं अन्य योग्यताएं इत्यादि :-** भर्ती की पद्धति, आयुसीमा एवं अन्य योग्यताएं एवं अन्य तथ्य जो कि इस पद से सम्बन्धित हैं कथित अनुसूची के खण्ड 5 से 13 तक दर्शाये अनुसार होंगे।
4. **अयोग्यताएं :-** कोई भी व्यक्ति  
(क) जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवनसाथी के साथ वैवाहिक अनुबंध करता है, या  
(ख) जो व्यक्ति अपने जीवनसाथी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ वैवाहिक अनुबंध करता है, इस पद के लिए योग्य नहीं होगा।  
ऐसी परिस्थितियों में यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह किसी भी व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत मान्य है, जो कि उन पर और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होते हैं और किसी अन्य आघात पर ऐसा किया गया है, उन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।
5. **छूट देने का अधिकार,** जहां सरकार ऐसा उचित समझती है कि किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को इन नियमों के प्रावधान में छूट देना अति आवश्यक है ऐसी स्थिति में सरकार कारण बताते हुए लिखित आदेश जारी कर सकती है।
6. **विशेष :-** इन नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों/व्यक्तियों को प्राप्त आरक्षण आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतें किसी भी अन्य नियमों से प्रभावित नहीं होगी।

#### अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	व्या चयन या गैर चयन	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वन रक्षक	86* (2016) • कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय है।	केन्द्रीय लोक सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अपिलिकीय	वेतन बैंड-1 (रू. 5200-202 00/-) ग्रेड वेतन 2000/- के साथ	गैर चयन	18-27 वर्ष ( समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट। नोट:- प्रत्याशियों की आयु सीमा की निर्णायक तिथि निर्धारण के लिए आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि मान्य होगी न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहोल एवं स्पिति जनपद, एवं चंबा जनपद का पांगी उप प्रभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के प्रत्याशियों के आवेदन पत्र प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से उपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	व्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा विभिन्न पदवित्तियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
7	8	9	10
अनिवार्य:- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण।	लागू नहीं	दो वर्ष	70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वाारा 30 प्रतिशत



<p>वाछनीय- हिन्दी ज्ञान</p> <p>शारीरिक मानदण्ड:-</p> <p>पुरुष :- ऊँचाई-163 सेंमी छाती- 84 सेंमी फैलाव- 5 सेंमी</p> <p>महिला: ऊँचाई-150 सेंमी छाती- 79 सेंमी फैलाव- 5 सेंमी</p> <p>अनुसूचित जन-जाति प्रत्याशियों एवं अन्य जैसे कि असमीया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊंजी, लडाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पिति मेघालय के प्रत्याशियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई मानक</p> <p>पुरुष :- 152 सेंमी</p> <p>महिला - 140 सेंमी</p> <p>पुरुष एवं महिला प्रत्याशियों के लिये कमशः 25 एवं 16 किलोमीटर की दूरी चार घंटों में पैदल तय करना अनिवार्य है ।</p>			<p>पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा</p>
--	--	--	---

<p>यदि भर्ती पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा होनी है तो किस श्रेणी से कितनी पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा भर्ती होगी ।</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?</p>	<p>परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।</p>
11	12	13
<p><b>पदोन्नति:</b></p> <p>वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के श्रमिक जो वेतन बैंड-1, 5200-20200/- ग्रेड वेतन 1800/- के साथ एवं कम से कम 13 वर्ष की नियमित सेवा की हो एवं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से कम से कम 10वीं पास हो ।</p>	<p><b>समूह "ग"</b></p> <p><b>विभागीय पदोन्नति समिति से बनी हुई</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य वन संरक्षक सदस्य</li> <li>3. निदेशक (पर्यावरण) सदस्य</li> </ol>	<p>लागू नहीं</p>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम से कुलानन्द जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण एवं वन)

#### DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE NOTIFICATION

Delhi, the 30, March, 2016

No. F.4(421)/CF/HQ/Estt./RR-FG/2010/2683.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 27/59-Him (i) dated the 13<sup>th</sup> July, 1959 and in supersession of notification No. F.57 (6)/Dev/HQ/93/4216-20 dated the 14<sup>th</sup> June, 1994 and F.4 (421)/CF/HQ/Estt./RR-FG/2010/8182-88 dated the 23<sup>rd</sup> March, 2012 for the post of Forest Guard; the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Forest Guard in the Department of Forests and Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1574 DG/16-3

1. **Short Title and commencement.-** These Rules may be called the Forest Guard in the Department of Forests & Wildlife Recruitment Rules, 2016.  
They shall come into effect on the date of their publications in the Official Gazette.
2. **No. of Posts, it's classification, pay band and grade pay/scale of pay.-** The number of post and its classification and pay band and the grade pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of Recruitment, Age Limit, and other Qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification :-** No person,
  - (a) Who has entered into or contracted a married with a person having a spouse, or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for this said post:  
 Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax :-** Where the Government is of the opinion that if, necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post.	No of posts.	Classification.	Pay band and Grade pay/Scale of pay.	Whether selection or non-selection.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Forest Guard.	66* (2016) *subject to variation dependant on work load.	Central Civil Services, Group 'C' non- Gazetted non- Ministerial.	PB-1, Rs. 5200-20,200/- with Grade pay of Rs. 2000/- .	Non-Selection.	18-27 years (Relaxation as per orders / instructions issued by Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdeep).



Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age or educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
<p><b>Essential:</b> 12<sup>th</sup> / Senior Secondary examination passed from a recognized board.</p> <p><b>Desirable:</b> Knowledge of Hindi.</p> <p><b>Physical Standards:</b></p> <p><b>Male Candidates-</b> Height 163 cms Chest 84 cms Expansion 5 cms.</p> <p><b>Female Candidates-</b> Height 150 cms Chest 79 cms Expansion 5 cms.</p> <p>Minimum height standards for ST candidates and races such as Assamese, Bhutanese, Garwalies, Gorkhas, Kumaonise, Ladakhese, Mizo, Naga, Nepalese, Sikkimese and those from Arunachal Pradesh, Lahaul &amp; Spiti, Meghalaya: Male 152 cms Female 140 cms</p> <p>Note : Male and female candidates must pass a physical test covering a distance of 25 and 16 KM respectively on foot in four hours.</p>	Not applicable.	Two years.	70% by direct recruits, 30% by promotion, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption, to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>Promotion:</b> Amongst Labour working in the department of Forests and Wildlife, Government of NCT of Delhi in PB-I, 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 1800/- with at least six years of regular service with minimum educational qualification of 10<sup>th</sup> pass from a recognized Board / institution.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addl. Pr. Chief Conservator of Forests - Chairman</li> <li>2. Chief Conservator of Forests - Member</li> <li>3. Director (Environment) - Member</li> </ol>	Not applicable.

By order and in the name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi  
KULANAND JOSHI,  
Spl. Secy. (E&F)

गृह (पुलिस-II) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च, 2016

सं0फा0 8/36/2016/गृह पुलिस-II/2077.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्राथमिकी संख्या 745/2015, थाना द्वारका (उत्तरी) एवं 76/2014 थाना मालवीय नगर, नई दिल्ली के मामले में सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राज्य की ओर से उक्त प्राथमिकी के संचालन हेतु सुश्री कामना वोहरा, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। सुश्री कामना वोहरा, विशेष लोक अभियोजक को देय शुल्क यथासमय निर्धारित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
के आदेश से,  
ओ पी मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT  
NOTIFICATION

Delhi, the 30th March, 2016

F. No. 8/36/2016/HP-II/2077.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Government of National Capital Territory of Delhi has decided to appoint Ms Kamna Vohra, Advocate, as Special Public Prosecutor to conduct case FIR No. 745/2015 P.S. Dwarka North and FIR No. 76 of 2014 PS Malviya Nagar, New Delhi on behalf of the State in the Court of competent jurisdiction. The terms and conditions of Ms. Kamna Vohra shall be settled in due course.

By Order of Government of  
National Capital Territory of Delhi  
O. P. MISHRA, Addl. Secy. (Home)